(5)

संख्या: 875XXVii(7)न0प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक: 08 मार्च, 2011

विषय:— वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति की गयी है कि शासनादेश संख्या:110 / XXVII(7) / 2006 दिनांक 29 जून,2006 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु चार ग्रेडो में पूर्व में गठित आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है:—

(1) आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान में विद्यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढॉचें के स्थान पर पदों को 50: 35: 15 के अनुपात में विभाजित करते हुए निम्नानुसार त्रि—स्तरीय ढॉचा रखा जाए:—

क्र. सं.	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन सरंचना (₹)		पदों का प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता / भर्ती की विधि
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आशुलिपिक	5200—20200	2800	50	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता—इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित

					गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान(डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0 सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उर्त्तीण होना अनिवार्य अर्हता होगी।)
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	35	यह पद द्वितीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक वाले आशुलिपिक पदधारको से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	15	यह पद तृतीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

(2) ऐसे विभागीय कार्यालयों जहाँ आशुलिपिक संवर्ग में राज्य स्तरीय पुनर्गठन संभव न हो और राज्य स्तर से निचले किसी भी स्तर के कार्यालय में आशुलिपिकीय पदों की संख्या 10 से कम है, वहां आनुपातिक आधार पर पदों के विभाजन में आने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु समिति की संस्तुति है कि इस संवर्ग के पदों का विभाजन एवं पदधारकों का समायोजन निम्नानुसार किया जायः–

संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या	आशुलिपिक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड –2 ₹9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 वेतन बैण्ड –2 ₹9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600

(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	–	–
2	1	1	–
3	2	1	–
4	2	1	1
5	2	2	1
6	3	2	1
7	4	2	1
8	4	3	1
9	5	3	1
10	5	3	2

(3) समिति की मंशा है कि सभी विभागों द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का राज्य स्तरीय संवर्ग गठित किया जाये ताकि प्रत्येक विभाग में नियुक्त आशुलिपिकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय प्रोन्नतियाँ अधिकाधिक संख्या में मिल सकें फिर भी ऐसे विभाग जहाँ आशुलिपिक संवर्ग का वर्तमान में एकीकृत संवर्ग नही है तथा एकीकृत संवर्ग बनाया जाना व्यवहारिक भी न हो वहाँ एक ही नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से नियुक्त आशुलिपिकों के जनपदीय संवर्ग/क्षेत्रीय संवर्ग/मण्डलीय संवर्ग को एक अलग इकाई मानते हुए उपरोक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन कर पदनाम व पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

(4) उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत वेतनमान का लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(5) आशुलिपिक संवर्ग के पदों का राज्य स्तर पर एकीकृत संवर्ग गठित हो जाने के फलस्वरूप यदि किसी विभाग को संवर्ग के पदधारकों को पुनर्गठन का लाभ दिये जाने में कठिनाई का अनुभव हो तो उस स्थिति में संबंधित विभाग संवर्ग को विकेन्द्रित कर उक्त पुनर्गठन का लाभ अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते है।

(6) प्र0वि0 सेवा नियमावली में इस प्रकार का संशोधन कर लें कि आशुलिपिक संवर्ग को राज्य स्तरीय बनाया जा सकें, ताकि पदोन्नति हेतु निर्धारित स्टाफिंग पैर्टन का लाभ अधिक से अधिक कार्मिकों को प्राप्त हो सकें।

(7) संबंधित सेवा नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही इन कार्यकारी आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जाएगी।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त,

संख्या :875 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।